



Neutral Citation No. - 2026:AHC:171263

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

**धारा 482 बीएनएसएस के अंतर्गत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या-
7703/2026**

अंजली उर्फ प्रीति

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : कुमार धनंजय

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : धीरज कुमार तिवारी, जी.ए., जावेद आलम

न्यायालय संख्या- 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

- 1- आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए., सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जावेद आलम को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
- 2- वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदिका की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 178 वर्ष 2026, बी.एन.एस. की धारा 352, 351(3), 85, 80(2) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4, थाना-पिलखुवा, जनपद-हापुड़, में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदिका को उपर्युक्त उल्लिखित प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3- आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदिका मृतका की देवरानी है। आवेदिका तथा अन्य सभी आठ अभियुक्तों को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद किया गया है। यहाँ तक कि आवेदिका के पिता एवं भाई को भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद किया गया है। पूर्व से शत्रुता चली आ रही है और इससे पूर्व भी मृतका द्वारा आवेदिका एवं उसके पिता के विरुद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जो मुकदमा अपराध संख्या 347 वर्ष 2025 के रूप में पंजीकृत हुई थी। उक्त प्रकरण में आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका था। तथापि, आवेदिका के संबंध में **आवेदन अन्तर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या 26075 वर्ष 2026 (अमन एवं 3 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य)** में इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक 03.04.2026 के संज्ञान/समन आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण को वापस प्रेषित कर दिया है। उक्त प्रकरण में भी बी.एन.एस. की धारा 115(2) एवं 351(2) के अंतर्गत आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया था। आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि आवेदिका अपने पति एवं अपने परिवार के साथ अलग रहती है। वर्तमान में वह लगभग सात माह की गर्भवती है और गर्भावस्था के उन्नत चरण में होने के बावजूद पुलिस द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा है तथा पुलिस उसे गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि मृतका का पति, आवेदिका का पति तथा आवेदिका के पिता पहले से ही जेल में हैं। आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मृतका द्वारा पूर्व में दर्ज कराए गए प्रकरण के अतिरिक्त आवेदिका का कोई अन्य आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

4- सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया तथा तर्क दिया कि मृतका को लगातार प्रताड़ित करने वाली आवेदिका ही थी। दहेज की मांग के संबंध में विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं। विवाह दिनांक 27.02.2020 को हुआ था और मृतका

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई है। पूर्व का प्रकरण भी अभियुक्तों द्वारा मृतका को नियमित रूप से प्रताड़ित एवं मारपीट किए जाने को दर्शाता है।

5- विद्वान ए.जी.ए. ने भी सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को अपनाया है, तथापि, उन्होंने आवेदिका के आपराधिक पूर्ववृत्त के संबंध में आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विवाद नहीं किया।

6- मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

7- आवेदिका के अनुसार वह अलग रहती है। पूर्व में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो मुकदमा अपराध संख्या 347 वर्ष 2025 के रूप में पंजीकृत हुई थी, के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि आवेदिका अलग रहती थी। वर्तमान प्रकरण में मांग बुलेट मोटरसाइकिल की है। मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व फांसी लगाने के परिणामस्वरूप दम घुटना अभिनिर्धारित किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आठ व्यक्तियों को नामजद किया गया है। न्यायालय की प्रथमदृष्टया राय में, प्रकरण के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आवेदिका को अतिशय रूप से अभियुक्त बनाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आवेदिका एक महिला है, जो लगभग सात माह की गर्भवती है और लगाए गए आरोपों के दृष्टिगत, उसे किसी अभिरक्षात्मक पूछताछ अथवा बरामदगी के लिए हिरासत में लिया जाना आवश्यक नहीं है। मृतका का लगभग डेढ़ वर्ष का नाबालिग बच्चा उसके नाना-नानी के साथ होना बताया गया है।

8- प्रकरण के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदिका को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

9- उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदिका का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

10- आवेदिका **अंजलि उर्फ प्रीति** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपर्युक्त मुकदमा अपराध में तत्काल अग्रिम जमानत पर इस शर्त पर रिहा किया जाएगा कि वह संबंधित थाने के थाना

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानत प्रस्तुत करे, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

- i- आवेदिका जब भी अपेक्षित हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगी;
- ii- आवेदिका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगी, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो;
- iii- आवेदिका न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगी;
- iv- आवेदिका अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगी/उसे भयभीत नहीं करेगी।

11- उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

12- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजन तक सीमित हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

14 अगस्त, 2026

सचिन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”